POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 24.07.2025

1. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा 09 करोड़ रुपये की धनराशि की धोखाधड़ी में संलिप्त एक शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **24.07.2025** को **थाना साइबर क्राइम पुलिस** द्वारा संकलित सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए वादी के अस्पताल को प्राप्त होने वाली करीब 09 करोड़ रुपये की धनराशि को धोखाधड़ी करते हुए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कराने वाला एक अभियुक्त नीरज मांडिया पुत्र ओमप्रकाश को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त नीरज मांडिया द्वारा बताया गया कि उसके साथ शुभम व अन्य साथी भी है, जिन्होनें अभियुक्त नीरज मांडिया से मांडिया ट्रेडर्स के नाम पर बैंक खाता खुलवाकर किट दी गई है,जिससे उसके बैंक खाते में अस्पताल में हुई धोखाधड़ी के 2,50,48,011 रुपये की धनराशि ट्रांसफर की गई थी, अभियुक्त नीरज को इस कार्य के लिए 10,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होते थे। उक्त बैंक खाते के ट्रांजेक्शन विवरण से पाया गया कि विगत 02 वर्षों में करीब 81.36 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है, जिसके संबंध में छानबीन की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी मुकदमा द्वारा उनके हॉस्पीटल में कैशलेश व्यवस्था के अन्तर्गत मेडिकल बिल के पेमेंट में हुयी 09 करोड की धोखाधडी होने के संबंध में मु0अ0सं0 61/2025 धारा 316(4)/318(4)/336(3)/340(2)/338/61(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना में साक्ष्य के आधार पर थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा घटना को कारित करने वाले हॉस्पिटल के पूर्व रिकवरी अधिकारी व उसके अन्य 02 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

नीरज मांडिया पुत्र ओमप्रकाश निवासी चावड़ी बाजार, दिल्ली।

नोट :- साइबर जागरूकता सुझाव हेतु मुख्य बिंदु--

1. साइबर से संबंधित किसी समस्या के लिये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर- 1930 अथवा साइबर क्राइम की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।
2. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड व आधार कार्ड अपडेट करने के लिए बैंक द्वारा कोई लिंक नहीं भेजा जाता है।

3. यदि संभव हो तो सदैव भारत सरकार के द्वारा अधिकृत तथा सेबी द्वारा निगरानी की जाने वाली शेयर मार्केट में ही निवेश करें।
4. यू ट्यूब, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप लाइक कर धन कमाने या टास्क पूरा करने के नाम पर धन कमाने का ऑफ़र देने वाली फर्जी कॉल से बचें। धोखेबाज के बहकावे में आकर पैसा ट्रांसफर न करें।
5. यू ट्यूब, गूगल ,फेसबुक,व्हाट्सअप लाइक कर एवं गेमिंग ऐप से धन कमाने या टास्क पूरा करने के नाम पर धन कमाने का ऑफर देने वाली फर्जी कॉल से बचें। धोखेबाज के बहकावे में आकर पैसा ट्रांसफर न करें।

2. थाना ईकोटेक-3 पुलिस व शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ के सम्बन्ध में--

विवरण-- दिनांक **24.07.2025** को **थाना ईकोटेक-3 पुलिस** द्वारा सेक्टर-10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट गोल चक्कर पर चेकिंग की जा रही थी, तभी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध प्रतीत हो रही एक मोटरसाइकिल पर सवार 02 युवकों को रूकने का इशारा किया गया परन्तु उपरोक्त युवक रूकने के बजाय मोटरसाइकिल को तेजी से चलाते हुए सादुल्लापुर की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते की ओर तेजी से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर युवकों की मोटरसाइकिल फिसलकर सड़क के किनारे गिर गयी जिस पर युवकों द्वारा भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्रवाई में दोनो बदमाश गोली लगने से घायल हो गये। घायल बदमाशों की पहचान 1-पंकज पुत्र राजबीर निवासी विक्रमगंज, थाना पिसावा, जिला अलीगढ़ वर्तमान पता ग्राम बम्हेटा, थाना वेव सिटी, जिला गाजियाबाद 2-पिन्टू पुत्र बाबू राम निवासी मोहल्ला सराय बेरूनी, डिबाई, जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता ग्राम बम्हेटा, थाना वेव सिटी, जिला गाजियाबाद के रूप में हुयी है। बदमाशों के कब्जे से दो अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस, चोरी किये गये जनरेटर की 05 पावर डिस्पले, 09 पीसीसी कार्ड, घटना में प्रयुक्त एक एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल, एक स्क्रू हथोड़ा व 01 पाना बरामद किया गया है। बदमाशों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम लोग रैकी करके रात के समय साउन्डलेस जनरेटर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डिस्पले की चोरी करते थे। हमारे द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई चोरी की घटनाएं कारित की गयी है। घायल बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। इनके संबंध में अन्य जानकारी की जा रही।

अभियुक्तों का विवरण--

1- पंकज पुत्र राजबीर निवासी विक्रमगंज, थाना पिसावा, जिला अलीगढ़ वर्तमान पता ग्राम बम्हेटा, थाना वेव सिटी, जिला गाजियाबाद।
2- पिन्टू पुत्र बाबू राम निवासी मोहल्ला सराय बेरूनी, डिबाई, जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता ग्राम बम्हेटा, थाना वेव सिटी, जिला गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण--

1. दो अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस
2. चोरी किये गये जनरेटर की 05 पावर डिस्पले
3. 09 पीसीसी कार्ड
4. घटना में प्रयुक्त एक एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल
5. एक स्क्रू हथोड़ा व 01 पाना

आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभियुक्त पंकज--**

1. मु0अ0सं0 323/18 धारा 380/411 भादवि थाना गभाना, जिला अलीगढ़।
2. मु0अ0सं0 316/19 धारा 379/411 भादवि थाना अरनिया, जिला बुलंदशहर।
3. मु0अ0सं0 62/20 धारा 307/411 भादवि थाना खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर।
4. मु0अ0सं0 63/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर।
5. मु0अ0सं0 48/19 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 300/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 299/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0 265/25 धारा 305ए/62 बीएनएस थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0 301/24 धारा 317 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0 129/21 धारा 380/457 भादवि थाना सलेमपुर, जिला बुलन्दशहर।
11. मु0अ0सं0 150/21 धारा 401 भादवि थाना सलेमपुर, जिला बुलन्दशहर।
12. मु0अ0सं0 151/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सलेमपुर, जिला बुलन्दशहर।
13. मु0अ0सं0 291/25 धारा 305ए बीएनएस थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त पिन्टू--**

1. मु0अ0सं0 291/25 धारा 305ए बीएनएस थाना ईकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

3. थाना इकोटेक तृतीय पुलिस द्वारा छात्रों को गैर प्रांत से ऑनलाइन गांजा की सप्लाई करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण-- दिनांक **15.07.2025** को **थाना इकोटेक-तृतीय पुलिस** द्वारा **41.330 किग्रा गांजा** के साथ 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना इकोटेक तृतीय पर मु0अ0सं0 274/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बरामद गांजा को शिलांग मेघालय प्रांत से अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र मनीलाल शाह व विशाल सैन पुत्र विमल सैन द्वारा ऑनलाइन/डाक पार्सल के माध्यम से भेजना बताया गया। जिनकी तलाश हेतु थाना इकोटेक तृतीय से टीम का गठन किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **24.07.2025** को **थाना इकोटेक-तृतीय पुलिस** टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से छात्रों को गैर प्रांत से ऑनलाइन गांजा की सप्लाई करने वाले 02 अभियुक्त 1-विशाल कुमार 2-विशाल सैन को पूछताछ हेतु थाना इकोटेक तृतीय पर लाया गया था, जिन्हे प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर **गिरफ्तार** किया गया है ।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि पूर्व में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त शिवम यूपीआई के माध्यम से गांजा मंगाने हेतु उन्हे रूपये भेजता था तथा हम दोनो शिलांग से गांजा पैक करके डाक पार्सल/कोरियर कर देते थे। इस संबंध में अभियुक्तगण के चैट/मैसेज भी मिले है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. विशाल कुमार पुत्र मनीलाल शाह निवासी बारा पत्थर, थाना झलुपुरा, जिला शिलांग, मेघालय उम्र करीब 23 वर्ष।
2. विशाल सैन पुत्र विमल सैन निवासी बारा पत्थर, थाना झलुपुरा, जिला शिलांग, मेघालय उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 274/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना इकोटेक तृतीय, गौतमबुद्धनगर।